न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष: मनोज गोयल,

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/विविध/उज्जैन/भूरा/18/0303 विरूद्ध आदेश दिनांक 26-2-2016 पारित द्वारा अपर कलेक्टर जिला उज्जैन, प्र.क्र. 14/अ-21/15-16

मध्यप्रदेश शासन

.....आवेदक

विरूद्ध

1-मोहनलाल पिता श्री मोतीलाल
निवासी ग्राम मालगावडी तहसील बडनगर
जिला उज्जैन
2-भंवरसिंह पिता श्री उदयसिंह
निवासी ग्राम खेडवदा तहसील बडनगर
जिला उज्जैन
3-शिवलाल पिता श्री पन्नालाल
निवासी सदर
4-आनन्दीलाल पिता श्री भेरूलाल
निवासी सदर

.....अनावेदकगण

श्री जितेन्द्र शेजवार, अभिभाषक--आवेदक
श्री ए0आर0यादव, अभिभाषक--अनावेदकगण

** आ दे श **

(आज दिनांक 6/3/18 को पारित)

आवेदक शासन द्वारा यह विविध प्रकरण म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अन्तर्गत अपर कलेक्टर जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-2-2016 के रिव्यु की अनुमति हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि किशोरीलाल द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष संहिता की धारा 165(6,7) के तहत प्रस्तुत किया गया जिस पर पूर्व अपर कलेक्टर जिला उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 14/अ-21/2015-16 किशोर ऊर्फ किशोरीलाल भील विरूद्ध मोहनलाल गारी व अन्य में दिनांक 26-2-2016 को आदेश पारित किया गया। अपर कलेक्टर के अभिलेख व आदेश का परीक्षण करने पर अनियमितता पाते हुये किशोरीलाल के कथन अनुसार उसने भूमि का विक्रय नहीं किया है तथा उसका खाता भी फर्जी तरीके से खोला जाकर राशि का लेनदेन किया गया है इसलिये उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण को किशोरीलाल द्वारा पुनर्विलोकन में लिये जाने हेतु अपर कलेक्टर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अपर कलेक्टर द्वारा पूर्व अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 26-2-2016 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के माध्यम से संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत पुनर्विलोकन में लेने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण द्वारा फर्जी तरीके से दस्तावेजों की कूटरचना कर उपपंजीयक के समक्ष किशोरीलाल की भूमियों को अपने नाम से विक्रय पत्र निष्पादित करवा लिया एवं उक्त विक्रय पत्र में सम्पूर्ण राशि अदा करना बताया जबकि किशोरीलाल को अनावेदकगण द्वारा कोई राशि नहीं दी गई है और न ही कोई राशि चैक के माध्यम से दी गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण द्वारा किशोरीलाल के नाम से भारतीय स्टेट बैंक रूनिजा में खाता खुलवाकर विक्रयपत्र में प्रदत्त चैकों को भुगतान विक्रय पत्र निष्पादित होने के पश्चात प्रस्तुत कर अनावेदकगण द्वारा स्वयं ही उक्त चैकों की राशि का नगद भुगतान प्राप्त किया है जबकि किशोरीलाल द्वारा बैंक में किसी प्रकार का कोई खाता नहीं खुलवाया गया है न ही चैक बैंक में प्रस्तुत किये और न ही कोई राशि बैंक से प्राप्त की । यह भी कहा गया कि अनावेदकगण द्वारा फर्जी विक्रय पत्रके आधार पर राजस्व अभिलेख में अपना नाम नामान्तरित करवा लिया है जबकि किशोरीलाल को नामान्तरण की कोई सूचना नहीं दी गई । किशोरीलाल द्वारा अनावेदकगण से कोई भी विक्रय अनुबंध नहीं किया गया है । किशोरीलाल भील जाति का होकर अनुसूचित जनजाति का सदस्य है । उनके द्वारा अपर कलेक्टर जिला उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 14/अ-21/15-16 में पारित आदेश 26-2-2016 की अनुमति का निवेदन किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्रमांक 14/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 26-2-2016 विधिवत एवं उचित होने से स्थिर रखा जाकर पुनर्विलोकन की अनुमति निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रकरण में आवेदक किशोरीलाल अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित । अनावेदक मोहन लाल के अभिभाषक भी उपस्थित । उभयपक्ष के तर्क सुने गये।आवेदक किशोरीलाल ने सभी जगहों पर स्वयं द्वारा हस्ताक्षर करनास्वीकार किया गया, लेकिन प्रकरण में प्रथमदृष्टया यह स्पष्ट है कि विक्रय में बड़ी राशि का नगद लेने देन बताया गया है । यहॉ तक कि किशोरीलाल को बैंक ने कैसे इतनी बड़ी राशि अपने खाते से नगद निकालने दी, यह भी जॉच का विषय है । प्रकरण में सभी पक्षों के कृत्य प्रथमदृष्टया सन्देहास्पद है । अत: पुन: जॉच आवश्यक है । अत: प्रकरण में शासन के प्रस्तावानुसार अपर कलेक्टर जिला उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 14/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 26-2-2016 के पुनर्विलोकन की अनुमति दी जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर